

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 403 / 15

संस्थापन दिनांक:-20 / 07 / 15

फाईलिंग नं. 233504002812015

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

सतीश पिता प्यारेलाल कासदे  
उम्र 25 वर्ष, निवासी हसलपुर घोघरा,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**-(नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 21.07.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 08.07.2015 को समय 02:00 बजे प्रार्थी के घर के पास ग्राम जैतपुर थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी रमेश को धारदार चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.07.2015 फरियादी दोपहर करीब दो बजे उसके खेत बैल लाने जा रहा था तभी उसे घर के पास ही अभियुक्त सतीश मिला और उससे कहा कि तू मेरी बहन से मजाक करता है और ऐसा कहकर उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां देने लगा और किसी धारदार चीज से उसकी टुड्डी पर मार दिया। जब वह चिल्लाया तो अभियुक्त भाग गया। अभियुक्त ने उसे उसकी बहन से दोबारा मजाक करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 374/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक सब्जी काटने का चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने

से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त दिनांक 08.07.2015 को समय 02:00 बजे प्रार्थी के घर के पास ग्राम जैतपुर थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी रमेश को धारदार चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 रमेश (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना एक वर्ष पुरानी होकर दोपहर के 2:30 बजे की उसके घर के पास की है। घटना के समय अभियुक्त आया और उसकी बहन से मजाक करने की बात पर से गंदी गंदी गालियां देकर हाथ मुक्को से मारपीट किया था जिससे उसे गाल पर चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दिया था। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट पर धारदार वस्तु से मारने के अलावा शेष बाते लिखाना स्वीकार करते हुए व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष प्रदर्श पी-2 का मौका नक्शा तैयार किया था।

7 साक्षी रजनी (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने अभियुक्त ने फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही उससे पुलिस ने घटना के संबंध में कोई पूछताछ की थी। उक्त दोनों ही साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा चाकू से मारपीट किये जाने की बात से इनकार किया है। यद्यपि साक्षी रमेश अखंडे (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त और उसके बीच में वाद विवाद हुआ था परंतु इस सुझाव को गलत होना बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किया जाना प्रमाणित होता है परंतु धारदार हथियार से आहत/फरियादी को चोट आयी ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी रमेश को धारदार चीज से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त सतीश को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 प्रकरण में जप्त सुदा चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)